TENDER DOCUMENTS FOR ANNUAL CONTRACT FOR HIRING OF VEHICLE SERVICES AT CMHO OFFICE DISTRICT NEEMUCH

Tender No. 2575

Date :- 15-03-2024

CONTENTS

SN	PARTICULARS	PAGE NOS.
1	General Instructions to Tenders	1 to 2
2	Item Description	3 to 4
3	Detailed Conditions	5
4	Annexure A and B	6 to 7

DURATION OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	16-03-2024 10:00 A.M.
BID SUBMISSION START	16-03-2024 10:00 A.M.
PRE-BID MEETING	18-04-2024 03:00 P.M.
BID SUBMISSSION END DATE	15-05-2024 05:00 P.M.
BID OPENING	17-05-2024 03:00 P.M.
TENDER DOCUMENTS FEES (Non-refundable)	Rs. 1000/-

Chief Medical & Health Officer

District Neemuch (MP)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नीमच (म0प्र0)

वर्ष 2023–2024

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच कार्यालय एवं अधिनस्त विकासखण्डो हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर वाहन किराये हेतु अनुबंधित दर पर उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष के साथ–साथ वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 के लिये ई–निविदा आमंत्रण सूचना ।

Tender Document

(Non Transferable)(Online)

E-Tender Inviting Notice

1 Re - Tender Ref. No - ---- Date - CMHO/hiring of vehicles/2023-24 Chief Medical and Health officer Neemuch Invites Online Tenders from eligible and qualified bidders for hiring of Vehicle to the officer of the chief Medical and health officer Neemuch and sub ordinates

2 The Schedule of E-tendering Activities are us under :-

Online Tender Id No :

s.no	Description of Tender	Tender invited for annual rate contract for vehicle rental for the year 2024-25 or 2025-26 along with the current financial year.
01	Available Tender Document for Purchase	Tender Document can be purchased By paying 1000.00 Rupees From E-Tendering Website www.mptenders.gov.in if Any Querry to contact on E-tendering Helpdesk
02	Tender Publish date & Time	-
03	Document Download/ sale start date & Time	-
04	Pre-bid meeting date& time	
5	Bid Submission start date & Time	
6	Bid submission End date & time	
7	Bid Opening date (Technical) & Time	
8	Financial Bid Opening	Financial Bid will be opening after technical bid. Its Notice not Published in any News paper of other than. Only upload in E-tendering Website www. www.mptenders.gov.in
9	Last date for submission as tender form hard copy date	-------------------------------At Office of the Chief Medical And Health Officer, Neemuch Distt. Neemuch

3 Bidding documents may by viewed or purchased online by interested and eligible bidders form website www.mptenders.gov.in on the above mentioned dates after online payment of tender fee of Rs.1000 and applicable processing fee

4- The bidders are advised to register themselves on the E-procurement portal (www.mptenders.gov.in) and obtain valid class III Digital Signature Certificate (DSC) as per Information Technology (IT) Act.2000. The said website can be accessed for additional information about registration and use of Portal.

5- Bidders can submit its tender online at www.mptenders.gov.in on for before the key dates given above. Bidders are requested to submit their tender well before the deadline to avoid last minute traffic congestion.

6 All further notification/amendments. If any shall only be posted on websites mentioned above.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नीमच (म0प्र0)
वाहन व्यवस्था के लिए ई– निविदा विस्तृत शर्तें
वर्ष 2023–24

कार्यालय " मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी " जिला नीमच के कार्यालय एंव अधीनस्थ अधिकारियों हेतु मासिक/दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध वर्तमान वित्तीय वर्ष के साथ–साथ वर्ष 2024–25 व 2025–26 तक दो वर्ष की अवधि के लिये ई–निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है।

सामान्य निर्देश :–

1 निविदा **www.mptenders.gov.in** पोर्टल पर आनलाईन प्रकाशित की जायेगी तथा पोर्टल पर दी गयी दिनांक को निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के दिवस स्वयं या प्रतिनिधि को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करे यदि निविदादाता उपस्थित नही होते है तब भी निर्धारित दिनांक को समिति द्वारा निविदाये खेाली जायेगी जिसका परिणाम सर्वमान्य होगा।

2 निविदा प्रपत्र राशि रूपये 1180/– (राशि रू एक हजार एक सौ अस्सी मात्र रूपये 1000+180 जी.एस.टी. सहित) का ऑनलाईन भुगतान कर ई–टेंडरिंग वेवसाईट पर उपरोक्तानुसार निर्धारित अविध तक ऑनलाईन **www.mptenders.gov.in** के माध्यम से डाउनलोड/कय किया जा सकता है । कोई समस्या आने पर ई – टेन्डर के हेल्प लाइन नम्बर या कार्यालय के नं0 07423– 490101 पर सम्पर्क कर सकते है।

3 संस्था का प्रोप्राइटर का जिवित पैन कार्ड होना आवश्यक है। नियमानुसार टीडीएस काटा जायेगा। साथ ही दरे समस्त टेक्स सहित प्रेशित करना अर्थात समिति द्वारा माना जायेगा कि आपके द्वारा प्रेषित दरो में समस्त टेक्स सम्मिलित है। (यदि आवश्यक हो) बाद में पृंथक से किसी टेक्स का भुगतान नही किया जावेगा।

4 निविदा में भाग लेने के लिए तकनिकी योग्यता जैसे टेक्सी परमिट सहित वाहन की आर.सी., पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, बीमा प्रमाण पत्र , बैक खाते की जानकारी के दस्तावेज पोर्टल पर तकनिकी बीड में अपलोड करने होगे राशि रू. 10000 का आनलाईन जिला स्वास्थ्य समिति के पक्ष में तकनिकी ऑफर में प्रेषित करना होगा।

5 चयनित फर्म को रूपये 100000/– (एक लाख रुपये) की परफार्मेन्स राशि डीडी के रूप में जमा करवानी होगी जो कार्यालय में जमा रहेगी। कार्य संतोषप्रद नही होने ही स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी तथा द्वितीय स्थान प्राप्त दर वाली संस्था को कार्यादेश प्रदाय किया जायेगा तथा शर्तोनुसार कार्य न करने वाली संस्था को ब्लेक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

6 समान दरे प्राप्त होने की स्थिति में अधिक अनुभवी वाली फर्म को प्राथमिकता प्रदाय की जायेगी।

7 निविदा खुलने के पश्चात आपत्ति होने पर उसी दिन लिखित में अवगत करावे। अन्यथा आपत्ति स्वीकृत नही की जायेगी।

8 निविदा के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अधिकार सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के पास सुरक्षित है। किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है।

9 निविदा हेतु प्री बिड बैठक का आयोजन पोर्टल पर दी गई दिनांक व समय पर किया जायेगा। इसके पश्चात यह माना जायेगा। कि निविदादाता को निविदा प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हो गई है।

10 जिले में आरबीएसके हेतु 6/7 बोलेरो या समकक्ष वाहन एवं अन्य जिला अधिकारीयो हेतु 5 वाहन (कार) की मासिक आधार पर आवश्यकता होगी। उक्त वाहनों में से आरबीएसके हेतु कमशः डीकेन/मनासा/पालसोडा विकासखण्ड हेतु 2/2/2 कुल 6 वाहन एवं अरबन क्षेत्र हेतु 01 वाहन की आवश्यकता होगी। शेष वाहन जिला स्तर से संचालित होंगें तथा आवश्यकतानुसार/राज्य स्तर से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार वाहनो की संख्या घटाई या बढाई जा सकती है, जिसके अधिकार सचिव जिला स्वा0 समिति के पास होगे।

11 दैनिक आधार पर समस्त कार्यक्रम में आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा।

12 आरबीएसके वाहनों पर राज्य के निर्देशानुसार प्रोटोटाईप/बैनर चस्पा किये जाना अनिवार्य होंगें। साथ ही प्रचार प्रसार हेतु माईक/साउण्ड भी लगाये जा सकेंगें जिसमें फर्म/ निविदाकर्ता को कोई आपत्ति नही होगीं।

13 आरबीएसके के सभी वाहनों मे फिक्स जीपीएस निविदाकर्ता/फर्म को लगाना अनिवार्य होगा जिसके आधार पर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जावेगी। अन्य वाहनो में भी आवश्यकता होने पर जीपीएस लगाया जाना होगा।

14 आरबीएसके वाहनो का जिला स्तर पर डीईआईएम आरबीएसके/नोडल अधिकारी व्दारा वेरीफाई किये जाने उपरांत भुगतान किया जावेगा।

15 सभी वाहनों की लागबुक संधारित करना आवश्यक होगा जो संबंधित अधिकारी व्दारा हस्ताक्षरित होगी एवं संबंधित सक्षम अधिकारी /नोडल अधिकारी व्दारा वेरीफाई किये जाने उपरांत भुगतान किया जावेगा।

16 सभी वाहन 01 जनवरी 2024 की स्थिति में तीन वर्ष से अधिक पुराने नही होना चाहिये या वाहन का रजिस्ट्रेशन 01 जनवरी 2021 से पूर्व का नही होना चाहिये ।

17 निविदाकर्ता /फर्म व्दारा तालिंका अनुसार एसी सहित दरें प्रदाय की जावे।

SN	Item Description	Quantity	Units	Figures To be entered by the Bidder
1	2	4	5	6
1	**मासिक आधार पर** कार सेगमेंट (डीजायर अमेज ओरा/एक्सेन्ट/ एस्पायर इत्यादी समकक्ष वाहन			
1.1	मासिक किराया अधिकतम 1000 किमी के लिये दर	1	Nos	
1.2	मासिक 1000 किमी से अधिक चलने पर प्रति किमी की दर	1	Nos	
2	जीप सेगमेट मासिक एस.यु.वी. वाहन (बोलेरो/ टीयूवी/स्कापीयो इत्यादी समकक्ष वाहन			
2.1	मासिक किराया अधिकतम 1000 किमी के लिये दर	1	Nos	
2.2	मासिक 1000 किमी से अधिक चलने पर प्रति किमी की दर	1	Nos	
3	**दैनिक आधार पर** कार सेगमेंट (डीजायर अमेज ओरा] एक्सेन्ट] एस्पायर इत्यादी समकक्ष वाहन			
3.1	दैनिक आधार पर अधिकतम 250 किमी के लिये दर	1	Nos	
3.2	दैनिक आधार पर 250 किमी से अधिक चलने पर प्रति किमी की दर	1	Nos	
3.3	दैनिक आधार पर अधिकतम 8 घन्टे /80 किमी के लिये दर	1	Nos	
3.4	दैनिक आधार पर 8 घन्टे /80 किमी से अधिक चलने पर प्रति किमी की दर	1	Nos	

4	दैनिक आधार पर जीप सेगमेट मासिक एस.यु.वी. वाहन (बोलेरो / टीयूवी / स्कापीयो इत्यादी समकक्ष वाहन			
4.1	दैनिक आधार पर अधिकतम 250 किमी के लिये दर	1	Nos	
4.2	दैनिक आधार पर 250 किमी से अधिक चलने पर प्रति किमी की दर	1	Nos	
4.3	दैनिक आधार पर अधिकतम 8 घन्टे /80 किमी के लिये दर	1	Nos	
4.4	दैनिक आधार पर 8 घन्टे /80 किमी से अधिक चलने पर प्रति किमी की दर	1	Nos	

निम्न व्यय वाहन प्रदायकर्ता को ही वहन करना होंगे

- वाहन चालक का वेतन एवं भत्ते।
- वाहन हेतु डीजल / पेट्रोल
- वाहन मेंटेनेंस एवं रिपेयर तथा समस्त टूट–फूट।
- टायर–ट्यूब, बैटरी एवं अन्य एसेसरीज व्यय।
- वाहन का बीमा एवं रोड़–टैक्स।
- टोल टेक्स।

18 वाहन माह में एक दिन मेंटेनेंस आदि के लिये वाहन मालिक को उपलब्ध कराया जा सकेगा एवं वाहन उसी दिन शाम को कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। तथा इसके एवज में अन्य वाहन अच्छी स्थिति में उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा अनुपस्थित दिवस हेतु राशि 1000 रू. दण्ड स्वरूप मासिक भुगतान में से काट ली जावेगी।

19 न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही क्षेत्र नीमच न्यायालय होगा।

20 प्रतिमाह निर्धारित किलो मीटर तक चलने के उपरांत अतिरिक्त कि.मी. चलने पर निर्धारित न्यूनतम दर अनुसार भुगतान किया जावेगा।

21 जिले से बाहर की यात्रा भ्रमण पर वाहन यदि 250 कि.मी. से अधिक चलता है तो दर प्रति कि.मी. अनुसार मान्य होगी।

22 अनुबन्ध होने के पश्चात वाहन मुख्यालय पर ही अधिकृत अधिकारी के अधिग्रहण में 24 घन्टे रहेगा।

23 वाहन दुर्घटना होने पर समस्त प्रकार के भुगतान की सर्म्पूण जवाबदारी वाहन मालिक की होगी।

24 वाहन प्रभारी की सवीकृति के बिना ड्राइवर नही बदला जासकेगा किन्तु वाहन प्रभारी द्वारा निर्देशित करने पर ड्राइवर तुरन्त बदला जायेगा।

25 भ्रमण के दौरान टोल टैक्स का भुगतान मालिक द्वारा देयक के साथ प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जा सकेगा।

26 समय– समय पर वाहन व्यवस्था एवं वाहनो के भुगतान हेतु राज्य से प्राप्त निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

27 विभागीय अधिकारी / कर्मचारी अथवा परिवार के सदस्य निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नही होगे। प्रत्येक निविदादाता को उक्त आशय का शपथ पत्र तकनिकी बिड में प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समय पता चलने पर वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जायेगी। तथा भुगतान की राशि की रिकवरी की जायेगी तथा स्वीकृति निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

28 वाहन डीजल / पेट्रोल / इलेक्ट्रीक / सीएनजी ही मान्य होंगे। अनाधिकृत गैस संचालित वाहन मान्य नही होगा।

29 कार्य संतोषजनक नही होने पर समिति व्दारा टेण्डर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

30 कार्यालयिन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला नीमच (म0प्र0)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच (म0प्र0)

वाहन किराए पर देने हेतु निविदा फार्म
वर्ष 2023–24

(तकनिकी बिड) निविदा सफल होने के लिए निविदाकर्ता को निम्न अर्हतायें अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

कंडिका	अनिवार्य आर्हताऐं
01	निविदाकर्ता को कार्यालय (मुख्यालय अथवा शाखा) नीमच में स्थापित करना अनिवार्य होगा (शपथः पत्र की छायाप्रति संलग्न करे) नोट निविदाकर्ता का कार्यालय (मुख्यालय अथवा शाखा) जिला नीमच में न होने की स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदा स्वीकृत होने पर कार्यालय (मुख्यालय अथवा शाखा) नीमच में स्थापित कर लिया जावेगा।
02	फर्म/संस्था का कार्यालय का वैध स्थापना (गुमास्ता) पंजीयन होना चाहिए (प्रमाण –पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करे)
03	निविदाकर्ता के पास फर्म अथावा प्रोपराईटर का पेन कार्यलय का वैध स्थापना (गुमास्ता) पंजीयन होना चाहिए (प्रमाण –पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करे।)
04	निविदाकर्ता के पास जी.एस.टी पंजीयन होना चाहिए (प्रमाण –पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करे।)
05	निविदाकर्ता को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय /केन्द्र शासित संस्था द्वारा प्रतिबंधित /ब्लेक लिस्टेड नही किया गया तथा संस्था के विरूध कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। (प्रमाण –पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करे।
6	नये निविदाकर्ता को निविदा के साथ राशि रूपयें 10000/–(दस हजार) ऑनलाईन धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी एवं सफल निविदाकर्ता को अनुबंध के साथ सुरक्षा निधी के रूप में परफोर्मेंस राशि 100000 रूपये (शब्दो में एक लाख रुपये मात्र) की बैंक गारंटी अथवा एफ.डी.आर जमा कराना अनिवार्य होगा। धरोहर/परफोर्मेस राशि पर ब्याज देय नही होगा । निविदा अनुबंध की अवधी 2 वर्ष होगी।
7	परिशिष्ट अ घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
8	निविदाकर्ता के पास दो वर्ष का शासकीय /अर्धशासकीय/केन्द्र शासित संस्था में वाहन संचालन का कार्य अनुभव अनिवार्य होना चाहिए एवं राशि रू. 30 लाख का वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए।
9	निविदाकर्ता के स्वंय तथा संस्था के पास कुल 10 वाहन (स्वंय के अथवा अनुबंधित) होना चाहिए । इस प्रकार कुल 10 वाहनों की आर.सी. **(Registeration Certificate)** की छाया प्रति संलग्न करना होगी, । सभी वाहनों का पंजीयन वर्ष 1 जनवरी 2021 के पूर्व का मान्य नही किया जावेगा । (अनुंबंध की छायाप्रति प्रस्तुत करे।
10	परिशिष्ट ब भरकर प्रस्तुत करे।

नोट :– निविदाकर्ता द्वारा उक्त दस्तावेज स्वप्रमाणित कर ई–निविदा मे संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदाकर्ता का आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

(परिशिष्ट "अ")

कमांक	फर्म /संस्था	विवरण
01	निविदाकर्ता फर्म/संस्था का नाम	
02	निविदाकर्ता फर्म /संस्था का पता	
03	दूरभाष कमांक/मोबाईल नम्बर	
04	फर्म/संस्था का ई–मेल आई.डी.	
05	फर्म/संस्था का स्थापना(गुमास्ता) पजीयन कमांक	
06	संस्था/प्रोपराईटर का पेन कार्ड नम्बर	
07	फर्म/संस्था का जी.एस.टी. पंजीयन कमांक	
08	धरोहर राशि रूपये 10000/–(दस हजार रूपये) का ऑनलाईन विवरण	

प्रमाणित किया जाता है कि ई–निविदा शर्तो पडने के पश्चात ही निविदा की तकनीकी आर्हताऐं कंडिकाओं को में/मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज पूर्ण रूपेण सत्य है इसमें किसी भी त्रूटी/लापरवाही/गलत /जानकारी/जानकारी छिपाने अथवा संम्बधित दस्तावेजों के ई–निविदा में सलग्न न करने पर निविदा अमान्य अथवा निरस्त की जाती है तो इसके लिये में /संस्था जिम्मेदार होगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की सील

(परिशिष्ट "ब")

क	स्वंय/संस्था के नाम पंजीकृत वाहनों की सूची	निविदाकर्ता के स्वंय तथा संस्था से अनुबंधित वाहनो कि सूची
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
फर्म की सील

Signature Not Verified
Digitally signed by SAMRATH SINGH BAGHEL
Date: 2024.03.15 18:21:37 IST
Location: Madhya Pradesh-MP